(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **इकबाल सिंह बैंस**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू0रा0/2017/1541 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-4-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 663/15-16/अपील.

विधाराम पुत्र तुलसीराम
निवासी ग्राम पुरासानी
तहसील व जिला ग्वालियर
द्वारा मुख्त्यारेआम रवि गौड पुत्र श्री आनंदनारायण गौड
निवासी टोटा की बजरिया एस0एफ0रोड कम्पू रोड,
ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

केशव सिंह पुत्र पंचम सिंह
निवासी ग्राम पुरासानी
तहसील व जिला ग्वालियर
हाल निवासी कांच मिल,
बिरला नगर ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-8-19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 26-4-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक विद्याराम द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पुरासानी की भूमि

सर्वे क्रमांक 121/मिन-1 रकबा 0.627 हेक्टेयर का बटांकन किये जाने की मांग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/14-15/अ-3 दर्ज कर दिनांक 21-1-16 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 केशव सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-6-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26-4-17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किए गए । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि उक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के लिये अधिग्रहण किया गया है । जिस दिनांक को उक्त भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी उस दिनांक को उभयपक्ष का जिस भाग पर कब्जा था राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा उसी हिस्से की भूमि का मुआवजा प्रदान किया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर कब्जे के अनुसार बंटाकन प्रस्ताव तैयार किये हैं । यदि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर बंटाकन प्रस्ताव कब्जे के अनुसार तैयार नहीं किये थे तो अनावेदक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्राप्त मुआवजे के संबंध में आपत्ति क्यों नहीं प्रस्तुत की । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर बटांकन प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिये राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी किया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर बटांकन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अनावेदक को सूचना प्रदान की थी । अनावेदक के पुत्र पर सूचना पत्र तामील हुआ, परन्तु उसने ही अनावेदक जेल में बंद है, इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये बटांकन प्रस्ताव पर विधिवत् प्रकाशन कराये जाने के बाद कोई आपत्ति न आने पर विधिवत बटांकन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संबंध में कोई उल्लेख किये बगैर जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि केशवसिंह तत्समय जेल में निरूद्ध था । अत: उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला । न्यायहित में यह अवसर मिलना चाहिये था ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये । प्रकरण में अभिलेखों का अध्ययन किया गया । तहसीलदार न्यायालय के अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक वृत महलगॉव तहसील व जिला ग्वालियर के द्वारा जारी सूचना पत्र पृष्ठ क्रमांक 9 पर संलग्न है जिसमें केशव सिंह पुत्र पंचमसिंह को जारी सूचना पत्र राजवीर सिंह पुत्र केशवसिंह द्वारा प्राप्त किया गया । समाचार पत्र में न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति भी पृष्ठ क्रमांक 19 पर संलग्न है । यह भी तथ्य है कि केशव सिंह तत्समय आपराधिक प्रकरण में जेल में निरूद्ध था जिसे दिनांक 26-1-2016 को रिहा किया गया । तहसीलदार न्यायालय के रिकार्ड के अभिलेखों में दिनांक 8-12-2015 को केशवसिंह को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है, जो अदम तामीली वापिस प्राप्त हुआ तथा उस पर तामीलकर्ता द्वारा निम्न टीप अंकित की गई कि "मौके पर ग्राम वासियों द्वारा बताया कि उक्त व्यक्ति ग्राम में निवास नहीं करते हैं, इस कारण नोटिस तामीली नहीं हो सकी ।" अभिलेखों के अध्ययन से यह भी प्रतीत होता है कि मुआवजे के संबंध में भूमि अर्जन होने के उपरांत प्राप्त मुआवजे के संबंध में कोई आपत्ति केशव सिंह द्वारा नहीं की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में केशव सिंह ने उसके पुत्र पर राजस्व निरीक्षक के नोटिस की तामीली होने के तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है ।

6/ प्रकरण के तथ्यों के आधार पर श्री केशव सिंह पुत्र पंचमसिंह पर राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामीली पुत्र पर होना प्रतीत होता है, परन्तु प्रकरण में निम्न तथ्य विचार योग्य हैं :-

(1) राजस्व निरीक्षक ने नोटिस केशव सिंह के पुत्र पर तामील होना बताया गया, परन्तु बाद में तहसीलदार का नोटिस दिनांक 8-12-2015 पर भृत्य की टीप इस प्रकार की आयी जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित ग्राम में निवास नहीं करता । यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि उसके पुत्र पर तामीली हुई थी ।

(2) किसी व्यक्ति के जेल में निरूद्ध होने की जानकारी गॉव में नहीं मिलना अस्वाभाविक है ।

(3) केशवसिंह के पुत्र के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना कि उसके पिता जेल में है, भी अस्वाभाविक है । हॉलाकि यह तथ्य केशवसिंह के विपरीत जाता है ।

(4) केशव की रिहाई दिनांक 26-1-2016 को हुई परन्तु प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 21-1-2016 को पारित किया गया । उल्लेखनीय है कि उसके पूर्व कि पेशी दिनांक 23-12-2015 को तहसीलदार ने दिनांक 28-12-2015 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया था । फिर एकाएक दिनांक 21-1-1-2016 का अंतिम आदेश जारी कर देना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं लगता है ।

7/ उपरोक्त चारो बिन्दुओं के कारण प्रकरण के तथ्यों में अस्वाभाविक विरोधाभास है । ऐसी स्थिति में केशवसिंह को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-04-2017 यथावत् रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजा जाये।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर